

corhe नीति सार

उच्च शिक्षा में विविधता और समावेशन

नीति सार 1

भारत में उच्च शिक्षा की सुलभता में समानता

नीति सार 2

भारत में उच्च शिक्षा का शैक्षणिक समेकन

नीति सार 3

भारत में उच्च शिक्षा के लिए सामाजिक समावेशन से संपन्न परिसरों का विकास

उच्च शिक्षा नीति अनुसंधान केंद्र

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान

17-बी, श्री अरविन्द मार्ग, नई दिल्ली-110016 (भारत)

वेबसाइट : www.niepa.ac.in

© राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा), 2017 (मानद विश्वविद्यालय)

प्रथम हिन्दी संस्करण : फरवरी 2019 (5 H)

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन का कोई भी भाग, नीपा की लिखित अनुमित के बिना पुनः मुद्रित नहीं किया जा सकता है और न ही पुनः प्राप्ति प्रणाली या किसी भी रूप में या किसी भी तरह के साधन जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, मैग्नेटिक टेप, यांत्रिक साधनों, फोटोकॉपी, रिकॉर्डिंग द्वारा या अन्यथा संग्रहित नहीं किया जा सकता है।

नीति सार, उच्च शिक्षा नीति अनुसंधान केंद्र (सी.पी.आर.एच.ई), नीपा, नई दिल्ली द्वारा किए गए अनुभवाश्रित अध्ययनों के अंतर्गत प्रकाश में आए मुद्दों पर आधारित है। यह नीति सार नीति निर्माताओं और उच्च शिक्षा प्रबंधकों को संबोधित है।

अस्वीकरण : प्रकाशन में व्यक्त विचार लेखकों के निजी विचार हैं और आवश्यक नहीं कि वे राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली को प्रतिबिंबित करते हों।

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा)

17—बी, श्री अरविन्द मार्ग, नई दिल्ली 110016 के कुलसचिव द्वारा प्रकाशित और नीपा द्वारा डिजाइन एवं मैसर्स अर्चना प्रिन्टर्स, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज—I, नई दिल्ली में मुद्रित।



भारत में उच्च शिक्षा की सुलभता में समानता

भूमिका

यह बात बड़े पैमाने पर स्वीकार की जाती है कि उच्च शिक्षा की प्राप्ति जीवनवृत्ति के अवसरों को जीवन भर सुगम बनाकर अनेक पेशेवर और व्यक्तिगत 'वंचनाओं' को दूर करने में व्यक्ति की सहायता करती है। समान शैक्षिक अवसरों का अभाव न केवल एक से दूसरी पीढ़ी तक इन वंचनाओं का हस्तांतरण जारी रखता है बल्कि किसी देश की मानवीय क्षमताओं को अभीष्ट स्तर तक ले जाने से रोककर उसकी आर्थिक संवृद्धि को भी बाधित करता है। इन कारणों से उच्च शिक्षा की प्राप्ति में अवसर की समानता समावेशी विकास और एक बेहतर न्यायपूर्ण समाज को साकार करने की ज़रूरी शर्त होती है — ऐसा समाज जिसमें व्यक्ति के जन्म की दशाएँ और उसका सामाजिक मूल उसके जीवन के अवसरों और जीवनवृत्ति की संभावनाओं का निर्धारण न करें।

हाल में उच्च शिक्षा की सामाजिक माँग में आई वृद्धि के कारण यह क्षेत्र जनव्यापी हो रहा है। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन दर (जी.ई.आर.) आज भारत में 24.5 प्रतिशत (मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 2016) है। उच्च शिक्षा की व्यवस्था के प्रसार में समता लाना एक महत्वपूर्ण सरोकार रहा है। आरक्षण की नीतियाँ, प्रवेश के मानदंडों में ढील तथा परिसर में विविधता के लिए किए गए दूसरे सकारात्मक कदम वंचित समूहों की सकल नामांकन दर को बढ़ाने वाले महत्वपूर्ण तत्व रहे हैं। लेकिन अनुभवजन्य प्रमाण उच्च शिक्षा की सुलभता में अभी भी आर्थिक, स्थानागत, क्षेत्रीय और सामाजिक विषमताओं की निरंतरता दर्शाते हैं। इसके अलावा उपलब्ध प्रमाण यह संकेत भी देते हैं कि संग्रांत अथवा

अभिजात (इलीट) संस्थाओं में प्रवेश में सुलभता की दृष्टि से और भी व्यापक सामाजिक—आर्थिक असमानताएँ मौजूद हैं।

शिक्षा के अवसरों में सामाजिक असमानताओं की सतत

आज उच्च शिक्षा और व्यवसायिक शिक्षा का चुनाव करने वाले छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है। फिर भी बहुत से छात्र पीछे छूट जाते हैं और असमानताएँ जारी रहती हैं। उच्च शिक्षा की सुलभता, विषयों के चयन और अभिजात विश्वविद्यालयों में प्रवेश में असमानताएँ मौजूद हैं। उच्च शिक्षा की व्यवस्था 'अवसरों की एक स्तरबद्ध संरचना' प्रस्तुत करती है जिसमें संस्थागत प्रतिष्ठा और अध्ययन क्षेत्र में अनुक्रम का वर्चस्व, आमदनी और सामाजिक परिणामों का निर्धारण करते हैं। ऐसा देखा गया है कि संपन्न पृष्टभूमियों से आने वाले छात्रों के लिए वंचित समूहों के मुकाबले चुनिंदा संस्थाओं और अध्ययन—कार्यक्रमों की सुलभता अधिक रहती है।

शैक्षिक अवसरों की असमानताएँ अभिजात संस्थाओं में, एवं विज्ञान और अभियांत्रिकी की धाराओं में सामाजिक—आर्थिक दृष्टि से वंचित समूहों और पहली पीढ़ी के विद्यार्थियों के अल्प—प्रतिनिधित्व में व्यक्त होती हैं। अकादिमक सोपान में ऊपर जाने पर वंचित समूहों का प्रतिनिधित्व उत्तरोत्तर कम होता जाता है। अभिभावकों की शिक्षा के स्तर, खासतौर पर स्नातक शिक्षा की दृष्टि से, उच्च शिक्षा में छात्रों की भागीदारी को महत्वपूर्ण सीमा तक प्रभावित करते हैं, तब भी जबिक परिवार की आर्थिक स्थिति, क्षेत्र (राज्य), स्थान, लिंग और सामाजिक—धार्मिक संबद्धता जैसे कारकों को




नियंत्रित गया किया हो। इन कारकों की विस्तृत विवेचना नीचे की गई है।

शैक्षिक अवसरों में असमानताओं की अभिव्यक्ति

शिक्षा के अवसरों में असमानताएँ आय के स्तरों, क्षेत्रों तथा सामाजिक श्रेणियों के अनुसार नामांकन के रूप में व्यक्त होती हैं। सामाजिक—आर्थिक स्थिति, माता—पिता की शिक्षा का स्तर, र्हाइस्कूल के अनुभव और प्रवेश की नीतियाँ भी महाविद्यालय की सुलभता तथा महाविद्यालय व विषयों के चयन को प्रभावित करते हैं।

आय के स्तरों के अनुसार उच्च शिक्षा की सुलभता संबंधी विषमताएँ : आज भी उच्च शिक्षा तक पहुँच की संभावना पर आर्थिक स्थिति का महत्वपूर्ण प्रभाव जारी है : हरेक पंचमक (quintile) में उच्च शिक्षा की लगातार बढ़ती सुलभता के साथ, धनिकों की तुलना में अपेक्षाकृत निर्धन लोगों में नामांकन का अनुपात सबसे कम है (चित्र 1 देखें)। उदाहरण के लिए, 2014 में, मासिक प्रतिव्यक्ति व्यय के शीर्ष पंचमक की अपेक्षा निम्नतम पंचमक (0—20 प्रतिशत) का सकल नामांकन अनुपात (जी.ई. आर.) सातगुना कम था (एन.एस.एस.ओ., 2014 देखें)।

चित्र 1: एन.एस.एस.ओ. के चक्रों में पंचमक मासिक प्रतिव्यक्ति आय के सकल नामांकन अनुपात



स्रोत : राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के विभिन्न चक्र (एन.एस.एस.ओ.)

क्षेत्रीय विषमताएँ : देश की उच्च शिक्षा का क्रमिक-विकास असमान विकास का एक परंपरागत उदाहरण प्रस्तुत करता है। जहाँ अनेक राज्यों ने सकल नामांकन अनुपात में प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की है वहीं कुछ राज्य अभी भी पीछे छूटे हुए हैं। फलस्वरूप देश की जनसंख्या के बीच उच्च शिक्षा के अवसरों का वितरण असमान है। अनुभवजन्य प्रमाण दर्शाते हैं कि संस्थागत घनत्व (प्रति एक लाख जनसंख्या के लिए उपलब्ध महाविद्यालयों की संख्या) में काफ़ी भिन्नता है, जिसके कारण उच्च शिक्षा संस्थाओं का कुछ राज्यों में संकेंद्रण हुआ है और अन्य राज्यों में वे अनुपलब्ध हैं।

राज्यों के बीच इस तरह का असमान वितरण उच्च शिक्षा की सुलभता में क्षेत्रीय असमानताओं को बढ़ावा देता है। नामांकन में इन क्षेत्रीय असमानताओं का गैर—सहायता प्राप्त संस्थाओं के स्थानिक वितरण से गहरा संबंध है। जिन राज्यों में गैर—सहायता प्राप्त संस्थाओं का अधिक संकेंद्रण है उन राज्यों में नामांकन की संख्या भी अधिक दर्ज है। दूसरी ओर मुख्यतः सार्वजनिक विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों वाले राज्यों में संस्थाओं का अनुपात कम है। यह परिदृश्य उच्च शिक्षा संस्थाओं की स्थापना में सचेत क्षेत्रीय नियोजन की आवश्यकता को उभारता है।

ग्रामीण—नगरीय विषमताएँ: नगरीय क्षेत्रों के छात्रों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा की सुलभता काफ़ी कम है। एनएसएस के आँकड़े (2014) उजागर करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में सकल नामांकन अनुपात केवल 24 प्रतिशत है जबिक नगरीय क्षेत्रों के लिए यही अनुपात 44 प्रतिशत है। इस तरह नामांकन की दरों में ग्रामीण—नगरीय विषमताएँ उच्च शिक्षा संस्थाओं की उपलब्धता से जुड़ी हुई हैं क्योंकि ये संस्थाएँ अक्सर नगरीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। दूर—दराज़ के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों के लिए लम्बी दूरियाँ तय करना सामाजिक हतोत्साहक और आर्थिक बोझ बन जाता है, और अभावग्रस्त समूहों के छात्रों को उच्च शिक्षा के अवसरों की सुलभता से और भी वंचित करता है।

सामाजिक विषमताएँ : अभावग्रस्त सामाजिक और आर्थिक समूहों के लिए उच्च शिक्षा की सुलभता का अवसर आज भी राष्ट्रीय स्तर से कम है। सामाजिक दृष्टि से वंचित समूहों, जैसे कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए नामांकन के अनुपात अन्य सामाजिक समूहों से आज भी कम हैं। जातीय श्रेणियों में निचली से लेकर मझोली और ऊँची जातियों के समूहों की ओर बढ़ें तो नामांकन का अनुपात बढ़ता जाता है जो स्तरबद्ध





असमानताओं का प्रमाण प्रस्तुत करता है। मुस्लिम समुदाय दूसरे सभी धार्मिक समूहों से पीछे है।

उच्च शिक्षा के अवसरों की सुलभता में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के छात्रों के लिए वंचनाओं के अनेक कारक सम्मिलत होते हैं, इनमें शामिल हैं: (अ) उनकी निम्न सामाजिक—आर्थिक पृष्ठभूमियाँ, (ब) उनकी पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी होने वाली स्थिति, और (स) ग्रामीण क्षेत्रों में उनके निवास के स्थान जहाँ विद्यालयों और परिवारों में अधिगम का बुनियादी ढाँचा खराब है। इसके साथ ही, सामाजिक रूप से बहिष्कृत समूहों में विद्यालय त्याग की भारी दरों के कारण, इन पृष्ठभूमियों वाले कुछ ही छात्र उच्च शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश चाहने/आवेदन कर सकने की स्थिति में होते हैं। इससे उच्च शिक्षा में सामाजिक विषमताओं की निरंतरता जारी रहती है।

स्नातकोत्तर स्तर पर अल्प-प्रतिनिधित्व : अनुभवजन्य प्रमाणों से पता चलता है कि अभावग्रस्त सामाजिक—आर्थिक समूहों के छात्र, पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी तथा ग्रामीण पृष्टभूमियों से आने वाले छात्र भले ही उच्च शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश पा लें, वे स्नातक स्तर से आगे बढ़ने में नाकाम रहते हैं। इस तरह स्नातकोत्तर स्तर पर छात्रों का एक बड़ा हिस्सा सम्पन्न सामाजिक समूहों और नगरीय पृष्टभूमि वाला होता है। इससे अभावग्रस्त समूहों के छात्रों और पहली पीढ़ी के शिक्षार्थियों के सामने आने वाली शैक्षिक और सामाजिक वंचनाओं का साफ पता चलता है जिसके कारण वे मजबूरन पढ़ाई छोड़ देते हैं या निम्न ग्रेड पाते हैं। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में ऐसे छात्रों का कम नामांकन फिर उन व्यवसायों में उनकी प्रवेश पाने की योग्यता को प्रभावित करता है जिसमें स्नातकोत्तर उपाधियों की माँग की जाती है, जैसे— उच्च शिक्षा के स्तर पर अध्यापन, अनुसंधान और दूसरे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में।

अभिजात और प्रतिष्ठित संस्थाओं में अल्प-प्रतिनिधित्व : उच्च शिक्षा के प्रसार के साथ संस्थागत विविधता की प्रक्रिया एक ऐसी स्थिति के जन्म में योगदान देती है जिसमें अभिजात संस्थाएँ मुख्य रूप से सामाजिक—आर्थिक दृष्टि से सुविधासंपन्न छात्रों और परंपरागत शिक्षार्थियों को भरती करती हैं जबिक उच्च शिक्षा की कम प्रतिष्ठित संस्थाएँ कम सुविधासंपन्न छात्रों और पहली पीढ़ी के शिक्षार्थियों के काम आती हैं।

अध्ययनों से पता चला है कि सांस्कृतिक पूँजी और रहन—सहन (रुचियों / वरीयताओं) का विभिन्न सामाजिक—आर्थिक पृष्ठभूमियों वाले र्हाइस्कूल छात्रों द्वारा कालेजों के चयन पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए संपन्न पृष्ठभूमियों वाले छात्रों का प्रतिष्ठित संस्थाओं में जाना अधिक संभावित है, जिन्हें वे अपने लालन—पालन के आधार पर ही अपनी स्कूली शिक्षा का अगला तार्किक चरण या स्वाभाविक परिणाम समझते हैं। इसके विपरीत सुविधाहीन समूहों के छात्रों से लगातार यह कहा जाता है कि ये महाविद्यालय और विश्वविद्यालय उनके दायरे से बाहर हैं। यह भी देखा गया है कि मज़बूत सामाजिक नेटवर्क वाले परिवार अपने बच्चों में सामाजिक पूंजी के निर्माण में सहायक होते हैं, परिणामस्वरूप जिसका सकारात्मक प्रभाव मानव पूँजी के निर्माण पर पड़ता है।

उच्च शिक्षा संस्थाओं (उ.शि.सं.) में प्रवेश की नीतियों का भी वंचित समूहों के छात्रों को प्राप्त प्रतिनिधित्व पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अभिजात संस्थाएँ प्रवेश चाहनेवाले उम्मीदवारों की छंटनी के लिए अक्सर एक अतिरिक्त चरण का सहारा भी लेती हैं। अनुभवजन्य प्रमाणों से यह भी पता चलता है कि चूँकि अभिजात संस्थाएँ प्रवेश की कठोर प्रक्रियाओं का सहारा लेती हैं इसलिए वे अक्सर संपन्न पृष्टभूमियों वाले छात्रों को ही गैर आनुपातिक ढंग से अधिक नामांकित करती हैं। इसके अलावा यह भी देखा गया है कि सरकारी महाविद्यालयों के मुकाबले निजी प्रबंध वाले मगर सरकार से सहायता पानेवाले महाविद्यालयों (निजी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों) में भी सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों का प्रतिनिधित्व कम है। निजी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में "प्रबंधक कोटा" की मौजूदगी, जो हमेशा "योग्यता" पर आधारित नहीं होता, उनकी छात्र—सूचियों की सामाजिक संरचना को संपन्न समूहों के पक्ष में विकृत करता है।

जब प्रवेश चयन परीक्षाओं पर आधारित नहीं होते या एक प्रबंधक कोटा मौजूद नहीं होता, उन स्थितियों में महाविद्यालयों के नामांकन में वंचित छात्रों का प्रतिनिधित्व काफ़ी अधिक होता है। फलस्वरूप, अभिजात संस्थाओं के मुकाबले गैर—अभिजात राजकीय विश्वविद्यालयों और सरकारी महाविद्यालयों में, जिनमें प्रवेश शिक्षा के अर्हता वाला स्तर, छात्रों के प्राप्तांक पर आधारित होते हैं, वंचित समूहों के छात्रों का प्रतिनिधित्व अधिक होता है। राजकीय विश्वविद्यालयों में नगरीय क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी छात्रों का भी प्रतिनिधित्व अधिक होता है। इस



तरह ये संस्थाएँ अधिकतर सामाजिक रूप से बहिष्कृत समूहों, ग्रामीण आबादियों, छात्राओं, और अपने परिवार में पहले—पहल महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पहुँचने वाले छात्रों के काम आती हैं।

स्टेम (STEM) विषयों में वंचित सामाजिक समूहों के छात्रों का अल्प—प्रतिनिधित्व : ऐसा देखा गया है कि संपन्न पृष्ठभूमियों से आनेवाले छात्र अक्सर स्टेम विषयों (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी और गणित) का चयन करते हैं जबिक समाज के हाशिये पर मौजूद छात्र, ग्रामीण छात्र और महिलाएं कला और सामाजिक—विज्ञान विषयों का चयन करते हैं।

छात्रों का पारिवारिक परिवेश और कॉलेज से पहले के प्राप्तांक भी उनके विषय—चयन को प्रभावित करते हैं। वंचित सामाजिक—आर्थिक पृष्टभूमियों वाले छात्र और पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी (जिनके सिलसिले में बहुत मुमिकन है कि उन्होंने सरकारी स्कूलों में क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा पाई हो) अक्सर विद्यालय के स्तर पर कम कितन पाठ्यक्रम लेते हैं। यह एक ऐसी प्रवृत्ति है जो उच्च शिक्षा के स्तर पर भी जारी रहती है। इसके अलावा शिक्षा के माध्यम के रूप में एक क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग उच्च शिक्षा के अभिलाषी छात्रों की राह में बाधा बन जाता है क्योंकि वह उच्च शिक्षा के स्तर पर चयन का निश्चय करनेवाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उनको तैयार नहीं करता।

निजी संस्थानों ने विषय—चयन की ऐसी विकृतियों में भारी योगदान दिया है क्योंकि इनमें से अधिकतर संस्थान अभियांत्रिकी, आयुर्विज्ञान और प्रबंधशास्त्र जैसे विषयक्षेत्रों के लिए स्थापित किए गए हैं। अनुभवजन्य प्रमाणों से पता चलता है कि निजी गैर—सहायताप्राप्त संस्थानों के मुकाबले सरकारी संस्थानों और समाजविज्ञानों में वंचित समूहों के छात्रों की भागीदारी अधिक है।

शिक्षा के अवसरों की सुलभता पर अल्प-प्रतिनिधित्व का प्रभाव

शिक्षा के अवसरों की सुलभता में विषमता, श्रमबाज़ार में प्रवेश के लिए आवश्यक कुशलताएँ पाने के सिलसिले में युवाओं की योग्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। इस वजह से पीढ़ियों के बीच गतिशीलता के अवसर सीमित होते हैं और समाज में पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को बल मिलता

है, जिससे समग्र आर्थिक संवृद्धि प्रभावित होती है। शिक्षा के अवसरों की सुलभता सम्बन्धी असमानताएँ इस तरह संविधान में 'अवसर की समानता' के लिए दिए गए वचन के पालन को और समावेशी विकास के लक्ष्य की प्राप्ति को असंभव बना देती हैं।

जैसा कि पहले कहा गया, निवास और अध्ययनस्थल की दूरी भी बाधा का काम करती है और उच्च शिक्षा के अभिलाषी छात्रों के चयन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। घर के पास बेहतर शिक्षा देने वाली उ.शि. संस्थाओं का अभाव, और साथ में उनकी सामाजिक और आर्थिक मजबूरियाँ, अभावग्रस्त छात्रों को, अगर वे उच्च शिक्षा पाना चाहते हैं तो भी, या तो पढ़ाई छोड़ने या फिर विषयों और संस्थाओं के चयन में समझौते करने के लिए मजबूर करती हैं। इसके अलावा, अकादिमक संस्थानों की अनुपलब्धता, उनके द्वारा एक अधिक ज़िम्मेदार सामाजिक व्यवहार को बढ़ावा देकर आसपास के समाज को प्रभावित करने की उनकी क्षमता में बाधक है।

रनातकोत्तर स्तर पर सुलभता की असमानता के भी व्यापकतर सामाजिक निहितार्थ रहे हैं और यह वंचित छात्रों पर गंभीर प्रभाव डालती है। चूँिक अध्यापन और अनुसन्धान के पेशों के लिए रनातकोत्तर और अनुसन्धान की डिग्नियां अनिवार्य हैं, इसलिए रनातकोत्तर पाठ्यक्रमों में वंचित छात्रों की कम भागीदारी बेहतर दर्जे के निजी और वृत्तिक जीवन की प्राप्ति में बाधक बन जाती हैं। प्रतिष्ठित कार्यक्रमों और संस्थाओं की सुलभता में असमानताएँ विरासत में मिली सामाजिक संपन्नताओं में असमानता का प्रतिबिम्ब होती हैं। इसके अलावा शिक्षा के अवसरों की सुलभता में विषमताएँ परिसरों में विविधता की प्रकृति को प्रभावित करती हैं। परिसरों में विविधता कम रह जाती हैं जिसके कारण छात्रों के लिए अंतर्समूह संपर्कों के और विभिन्न समूहों के साथियों से कुछ सीखने के अवसर सीमित हो जाते हैं।

हस्तक्षेप के क्षेत्र

शिक्षा के अवसरों का वितरण जब असमान होता है तो वे असमानताओं का एक अहम स्रोत बन जाते हैं, जिसके कारण सुधारमूलक सार्वजनिक नीतियाँ और संस्थागत रणनीतियाँ आवश्यक हो जाती हैं। समाजों में समानता बढ़ाने के लिए सामाजिक आवंटन में उच्च शिक्षा की सकारात्मक भूमिका को उच्च शिक्षा संस्थाएँ बढ़ा सकती हैं। उच्च शिक्षा के अवसरों की





सुलभता में समानता बढ़ाने के मकसद से निम्नलिखित युक्तियों पर विचार किया जा सकता है :

भारी मात्रा में उच्च शिक्षा की ऐसी सुविधाएँ जुटाना जो विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई हों;

सरकारी और निजी सहायता प्राप्त संस्थाओं का प्रसार खासकर व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों में:

ग्रामीण और कम सुविधाओं वाले क्षेत्रों में उच्च शिक्षा संस्थाओं में व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों की व्यवस्था;

उच्च शिक्षा संस्थाओं में दूर के ग्रामीण क्षेत्रों की सुलभता बढ़ाने के लिए नगरीय क्षेत्रों में छात्रावासों का निर्माण;

निजी क्षेत्र में आरक्षण की नीतियों के व्यवहार की संभावना का पता लगाना क्योंकि फ़िलहाल निजी संस्थाएँ ही अधिकतर व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रम चला रही हैं:

उन छात्रसमूहों की पहचान करना जिनका परिसरों में प्रतिनिधित्व कम है;

वंचित सामाजिक—आर्थिक समूहों के छात्रों और महिलाओं के लिए सुलभता बढ़ाने के रास्तों की खोज, विशेष रूप से उच्च शिक्षा के तकनीकी, चुनिन्दा और प्रतिष्ठित संस्थाओं में; शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विज्ञान के विषय लेने के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित करना;

हाईस्कूल छात्रों के लिए गर्मियों में परिसरों में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन जो कॉलेज में प्रवेश संबंधी सूचनाएँ दें और उनकी कुशलताओं को बढ़ाएँ;

उ.शि. संस्थाओं में और खासकर अभिजात संस्थाओं में आरक्षण की नीतियों के व्यवहार पर निगरानी रखने की व्यवस्थाओं को परिष्कृत करना।

निष्कर्ष

पिछले दो दशकों में छात्र नामांकन के सन्दर्भ में भारत में उच्च शिक्षा का विस्तार प्रशंसनीय रहा है। लेकिन सकल नामांकन अनुपात में कुल मिलाकर हुए इज़ाफ़े के बावजूद विषमताएँ अनेक रूपों में जारी हैं, जैसे कि आर्थिक, क्षेत्रीय, स्थानिक और सामाजिक समूहों की विषमताएँ। ये विषमताएँ गरीब परिवारों, सीमांत समूहों और ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। ऊँचे दर्जे के शैक्षिक अवसरों की, जैसे कि स्टेम (STEM) विषयों के अध्ययन और अभिजात संस्थाओं में अध्ययन के अवसरों की, सुलभता संबंधी विषमताएँ भी सामाजिक—आर्थिक रूप से वंचित छात्रों के लिए आज भी जारी हैं। स्पष्ट है कि परिवार की आय, स्कूलों में शिक्षा का माध्यम, माता—पिता की शिक्षा, और नगर / ग्राम की स्थिति उच्च शिक्षा की सुलभता के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं।

उच्च शिक्षा क्षेत्र का विस्तार, खासकर निजी संस्थाओं के जिरये होनेवाला विस्तार, भी उच्च शिक्षा के अवसरों की सुलभता में असमानताओं को गहरा बना रहा है। यह नीति सार, व्यवस्था का विस्तार जारी रखते हुए भी (संघ और राज्य सरकारों द्वारा) नीतियों के स्तर पर, और संस्थागत स्तर पर भी, उच्च शिक्षा की सुलभता में जारी असमानताओं के निबटारे का आवाह करता है। उच्च शिक्षा में सार्वजनिक निवेश को वंचित समूहों के हक में लिक्षत करने की और निजी क्षेत्र में सकारात्मक कार्यवाही करने की आवश्यकता है। ऐसी पहलकदिमयाँ सामाजिक—आर्थिक असमानताओं में कमी लाने और शिक्षा की सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक बाधाएँ दूर कर विकास में समता लाने में उच्च शिक्षा की परिवर्तनकारी भूमिका को और प्रखर बनाएँगी।

यह नीति—सार उच्च शिक्षा नीति अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के **निधि एस.** सभरवाल और सी.एम. मलीश द्वारा तैयार किया गया।

नीति—सार 1, 2 और 3 मुख्यतः उपरोक्त केंद्र के अनुसन्धान—अध्ययन पर आधारित हैं। ये अध्ययन प्रश्नावली के आधार पर 3,200 छात्रों के सर्वेक्षण, 200 संकाय सदस्यों से साक्षात्कारों, छात्रों सहित 70 विषय—केन्द्रित सामूहिक विचार—विमर्श, और उच्च शिक्षा संस्थानों के छात्रों की 50 डायरियों पर आधारित हैं। ये संस्थान 6 राज्यों— बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में स्थित हैं।



भारत में उच्च शिक्षा का शैक्षणिक समेकन

भूमिका

लगभग 3.46 करोड़ छात्रों और 24.5 प्रतिशत के सकल नामांकन अनुपात (एम एच आर डी, 2016) के साथ भारत आज संसार का दूसरा सबसे बड़े उच्च शिक्षा क्षेत्र वाला देश है। पिछले कुछ दशकों में इस क्षेत्र का रुपांतर हुआ है। छात्रसमूह में केवल अभिजात प्रतिनिधित्व के विपरीत यह ऐसा क्षेत्र बन चुका है जिसमें विभिन्न सामाजिक समूहों की पहले से कहीं अधिक व्यापक भागीदारी है। इस जनव्यापी विस्तार के फलस्वरूप इस क्षेत्र में संस्थागत स्तर पर छात्रों की विविधता में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। छात्रसमूह जो कभी अपेक्षाकृत एकरूप और अभिजात वर्ग का समूह हुआ करता था, इसमें अब गैर—अभिजात और गैर—परंपरागत सामाजिक समूहों, जिनकी भिन्न—भिन्न शैक्षणिक पृष्ठभूमियों वाले छात्रों का महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व प्राप्त है।

अधिक विविधता से भरे छात्रसमूह के आने के कारण उच्च शिक्षा संस्थाओं (उच्च शिक्षा संस्थाओं) में नए तनाव पैदा होते हैं : जहाँ प्रवेश बिन्दु पर 'ढील' दी गयी है, वहीं निकास बिन्दु पर शैक्षिण क सफलता के सूचक पर्याप्त शैक्षणिक समर्थन की मांग करते हैं। इस तरह शैक्षणिक यात्रा के दौरान भी वंचित छात्रों को अधिक समर्थन की ज़रूरत है तािक प्रवेश और निकास बिन्दुओं के बीच की भारी दूरी वे तय कर सकें। यह नीित—सार उन वंचित छात्र समूहों के सामने आनेवाली शैक्षणिक चुनौतियों की विवेचना करता है जो विभिन्न शैक्षणिक पृष्ठभूमियों से उ.शि. संस्थाओं में प्रवेश करते हैं। यह परिसरों में शैक्षणिक समेकन लाने के लिए आवश्यक सुकेंद्रित संस्थागत प्रयासों की विवेचना भी करता है।

परिसरों में शैक्षणिक समेकन की चुनौतियाँ

अल्प-प्रतिनिधित्व वाले छात्रसमूहों की बढ़ती भागीदारी के सन्दर्भ में खास तौर पर एक अत्यावश्यक मुद्दा उनके प्रतिधारण (रिटेंशन) और उनकी शैक्षणिक सफलता का है। छात्रों की विविधता के प्रति संकाय—सदस्यों का नकारात्मक रुख, वंचित समूहों के छात्रों की सीमित सामाजिक और सांस्कृतिक पूंजी, और कॉलेज—पूर्व स्तर पर छात्रों की तैयारी का अभाव कक्षाओं में असहायता को बढ़ाते हैं, और इस तरह इन छात्रों के शैक्षणिक सफलता की संभावनाओं पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं।

शैक्षणिक चुनौतियों की अभिव्यक्तियाँ

उच्च शिक्षा व्यवस्था में वंचित छात्रों के शैक्षणिक समेकन का अभाव विभिन्न रूपों में प्रतिबिंबित होता है। यह उन शैक्षणिक चुनौतियों के रूप में व्यक्त होता है जिनका सामना छात्रों को प्रवेश के दिन से ही करना होता है और जो पाठ्यक्रमों के पूरे होने के दिन तक जारी रहती हैं। चूँिक विभिन्न सामाजिक स्तरों के छात्रों की कॉलेज—पूर्व शैक्षणिक उपलब्धियाँ एक दूसरे से भिन्न होती हैं, इसलिए वंचित सामाजिक—आर्थिक समूहों के छात्र अक्सर उच्च शिक्षा के स्तर पर कठोर शैक्षणिक अपेक्षाओं को पूरा करने में नाकाम रहते हैं। यह बात पहली पीढ़ी के शिक्षार्थियों के बारे में खासतौर पर सच है जो या तो सरकारी स्कूलों से या स्थानीय भाषाओं में शिक्षण वाले स्कूलों से पढ़कर आते हैं। ऐसे छात्र प्रारंभ में मूल विषयों को समझने में भी कठिनाई



महसूस करते हैं। उन्होंने जो कुछ स्कूल में पढ़ा है और उच्च शिक्षा की पाठ्यचर्या के बीच का अंतर उनकी कठिनाइयों को और बढ़ाता है।

शिक्षा का माध्यम उच्च शिक्षा की शैक्षणिक अपेक्षाओं से जूझने की कोशिश कर रहे छात्रों के सामने एक बड़ी बाधा खड़ी करता है। जिन संस्थाओं में शिक्षा का माध्यम अंग्रज़ी है उनमें नामांकन होने पर स्थानीय भाषा के माध्यम से पढ़े छात्रों को व्याख्यानों को समझना या कक्षा में होनेवाली चर्चाओं में सिक्रय भाग लेना भी किठन लगता है। स्थानीय भाषाओं में किताबों का अभाव उनके शैक्षणिक समेकन को और भी मुश्किल बनाता है। वास्तव में ऐसे छात्रों के लिए वास्तविक चुनौती सिर्फ भाषाई क्षमता ही नहीं होती बल्कि अंग्रेज़ी भाषा की नई तकनीकी शब्दावली की अस्पष्टताओं की होती है जो एक बिल्कुल नई भाषा में बुनियादी अवधारणाओं को समझने में बाधा डालती है, भले ही उन छात्रों ने उन्हीं अवधारणाओं को स्थानीय भाषा में पढ़ रखा हो। स्थानीय और अंग्रेज़ी भाषाओं का यह टकराव शैक्षणिक तालमेल की प्रमुख बाधाओं में से एक सूचक है।

कक्षाओं में व्याख्यान अधिकतर एक—दिशात्मक होते हैं और छात्रों की सक्रिय भागीदारी न्यूनतम होती है। छात्रों की क्षमता के आलोचनात्मक मूल्यांकन के लिए अध्यापक भी सीमित प्रयास ही करते हैं और अपने कक्षा—कार्य की तैयारी भी उसी ढंग से करते हैं। वंचित छात्रों को अपने सुविधासंपन्न साथियों के मुकाबले शिक्षण के अतिरिक्त आगतों की ज़रूरत होती है तािक शिक्षणिक खाई को पाटा जा सके। फिर भी प्रचलित तौर—तरीकों में उन पर अध्यापकों का ध्यान कम जाता है। इससे उनके आत्मविश्वास पर नकारात्मक असर पड़ता है और कक्षा में उनकी सिक्रय भागीदारी कम होती है। आत्मविश्वास के अभाव में वंचित पृष्ठभूमियों के छात्र सुविधासंपन्न पृष्ठभूमियों वाले सािथयों के मुकाबले अपनी शंकाओं को दूर करने के लिए सवाल भी कम करते हैं।

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षण की प्रमुख विधि व्याख्यान है, जो सामूहिक अधिगम के अवसर सीमित करती है। कक्षा में दिए गए वैयक्तिक कार्यों की प्रतिपुष्टि (फ़ीडबैक) बेहद न्यून होती है। ज्ञात है कि प्रतिपुष्टि, सुधार के अवसर और

सीखने (अधिगम) को बढ़ावा देती है। चूँकि वंचित पृष्ठभूमियों के छात्र चर्चाओं में भाग लेने के सिलसिले में झिझक से भरे और कम आत्मविश्वासी होते हैं, इसलिए शिक्षण की समूह—आधारित विधियाँ, जैसे सामूहिक प्रदत्तकार्यों (ग्रुप असाइनमेंट), से छात्रों को शिक्षण की प्रक्रिया में सिक्रय भागीदारी में मदद मिलती है। दुर्भाग्य से सामूहिक प्रदत्तकार्य और सामूहिक शिक्षा एवं सहज्ञान के अवसर भी सीमित होते हैं।

चूँकि बड़ी कक्षाओं में छात्र कक्षा—कार्य के दौरान अपनी शंकाओं को स्पष्ट नहीं कर पाते, इसलिए स्टाफ्रूम में या कक्षा से बाहर अनौपचारिक विचार—विमर्श की शैक्षणिक समेकन में एक अहम भूमिका होती है। साक्ष्यों से संकेत मिलता है कि कक्षा से बाहर की चर्चाओं या संकाय के साथ अनौपचारिक विचार—विमर्श को प्रायः प्रोत्साहित नहीं किया जाता, और वंचित छात्रों के सिलसिले में तो और भी कम किया जाता है। इसी तरह वंचित छात्रों के लिए शैक्षणिक मुद्दों पर साथियों का सहारा भी सीमित होता है।

हालाँकि शैक्षणिक खाई को पाटने के लिए अनेक परिसर सहायक कोचिंग कक्षाएँ चलाते हैं, फिर भी ऐसे सहायक अध्यापन के बारे में लिक्षित समूहों में जानकारी का अभाव होता है। सहायक कक्षाओं के आयोजन के बारे में छात्र विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से पर्याप्त जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते। इससे अंतर को दूर करने और आगे चल रहे छात्रों के बराबर उन्हें लाने में छात्रों की भागीदारी कम होती है।

सहायक कोचिंग कक्षाओं के साथ जातिगत चिन्हांकन भी जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि उन्हें प्रायः अनुसूचित जातियों और जनजातियों के छात्रों के लिए आयोजित कार्यक्रम मान लिया जाता है। इससे सीखने की प्रक्रिया में वंचित समूहों की सक्रिय भागीदारी बाधित होती है।

साथ ही, पुस्तकालय संसाधनों एवं विधियों और उनके उपयोग के बारे में सजगता का अभाव भी शैक्षणिक तालमेल के अवसरों को प्रभावित करता है। ऐसे विशेष प्रावधान, जैसे पुस्तक बैंक, जो वंचित छात्रों के लिए होते हैं, अनेक उच्च शिक्षा संस्थाओं में काम ही नहीं कर रहे हैं। इस तरह परिसरों में शैक्षणिक समेकन का अभाव वंचित समूहों के छात्रों को विश्वविद्यालय और





महाविद्यालय से बाहर की मदद लेने के लिए मजबूर करता है। फलस्वरूप वे अध्यापकों और साथियों से कुछ सीखने के अवसर से वंचित रह जाते हैं।

उच्च शिक्षा संस्थाओं में पठन—पाठन की नकारात्मक दशाओं और प्रक्रियाओं की मौजूदगी और संगठनात्मक सहायता के अभाव में वंचित समूहों के छात्र उच्च शिक्षा की अपेक्षाओं से शैक्षणिक तालमेल नहीं बिठा पाते। इसके कारण वे संस्थागत सहायता के सिलसिले में, तथा अध्यापकों और साथियों के साथ संज्ञानात्मक और शैक्षणिक संसर्ग के सिलसिले में, कमी और अभाव की भावना से ग्रस्त हो जाते हैं, और फिर इस कारण छात्रों के शैक्षणिक क्षमताओं की प्राप्ति पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता हैं।

वंचित छात्रों पर शैक्षणिक बहिष्करण के प्रभाव

प्रवेश बिन्दुओं पर मौजूद शैक्षणिक असमानताएँ और उन असमानताओं के निपटारे में संस्थागत पहलकदिमयों का सीमित चिरत्र भी पहली पीढ़ी के शिक्षार्थियों समेत वंचित समूहों के छात्रों में शैक्षणिक समेकन के अभाव, शैक्षणिक सफलता के निम्न स्तरों, और निकास की भारी दरों के लिए जिम्मेदार हैं। छात्रों के, संस्थाओं के और व्यापक समाज के लिए भी शैक्षणिक समेकन के इस अभाव के नकारात्मक निहितार्थ हैं।

छात्रों के लिए शैक्षणिक समेकन और सफलता के निम्न स्तरों के तात्कालिक और दीर्घकालिक निहितार्थ होते हैं। ये निहितार्थ परीक्षापत्र उत्तीर्ण करने में असफलता, कम शैक्षणिक प्राप्तांक, दोहराव और शिक्षात्याग के रूप में निकास की भारी दरों अथवा पाठ्यक्रमों की सफल समाप्ति में होनेवाली देरी जैसे अनेक रूपों में व्यक्त होते हैं।

कम शैक्षणिक तैयारी और वंचित छात्रों के प्रति संस्थाओं की उपेक्षा—भावना के परिणाम अधिकांश पाठ्यक्रमों के पहले सेमेस्टर में ही सामने आने लगते हैं। ज्ञान और संज्ञान की कुशलताओं की प्राप्ति के बारे में छात्रों से जो अपेक्षाएँ की जाती हैं, उन पर इसके कारण पहले साल में ही गंभीर प्रभाव पड़ने लगते हैं, जिसके शैक्षणिक क्षमताओं के लिए दीर्घकालिक परिणाम होते हैं। चूँकि पहले साल के विषय—आधारमूलक होते हैं जिन पर बाद

के पाठ्यक्रम आधारित होते हैं, इसलिए पहले साल में खराब शैक्षणिक प्रदर्शन भी उनकी भावी शैक्षणिक राह और समायोजन को प्रभावित करता है। शुरुआती सेमेस्टरों में शैक्षणिक समायोजन की कठिनाई भी प्रभावित छात्रों में कक्षा में अलगाव की भावना छोड़ जाती है।

इसके अलावा छात्र जब पहले सेमेस्टर के पर्चों में असफल रहते हैं तो ये 'बैकपेपर्स' के रूप में जमा होते जाते हैं जिनको पास करना जरूरी होता है, तािक अध्ययन का कार्यक्रम सफलता से पूरा हो। शेष रहनेवाले बैकपेपर्स किसी उपाधि या पाठ्यक्रम की सफल समाप्ति के समय को और बढ़ा देते हैं। अनेक सेमेस्टरों में ऐसे बैकपेपर्स के जमा होते जाने से वंचित समूहों के छात्रों की प्रेरणा दम तोड़ने लगती है जिसके कारण अध्ययन के पाठ्यक्रम से उनके पूरी तरह बाहर निकल जाने का जोखिम बढ़ जाता है।

इस दौरान जो छात्र अध्ययन को जारी रखते हैं उनके लिए भी पिछले सेमेस्टरों के पर्चों और वर्तमान सेमेस्टर के पर्चों के साथ सामंजस्य बैठाना मुश्किल होता है। कम शैक्षिक उपलिख्यों की यह प्रक्रिया शैक्षणिक प्रेरणा पर नकारात्मक प्रभाव डालती है और अध्ययन में अरुचि का स्रोत बन जाती है। इसके कारण छात्र परिसर में शैक्षणिक दृष्टि से गैर—सहायक गतिविधियों में भाग लेने लगते हैं और इस तरह पाठ्यक्रम पूरा करने में और अधिक समय लगाते हैं या फिर उसे छोड़ ही जाते हैं।

बाकी बचे बैकपेपर्स का तनाव छात्रों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी डालता है। मनोचिकित्सक इसे "बैकपेपर सिंड्रोम" कहते हैं जो उनकी राय में प्रभावित छात्रों में मानसिक तनाव को बढ़ाता है, आत्मविश्वास के स्तर कम करता है और अवांछित सामाजिक परिणामों (जैसे आत्मघाती प्रवृत्तियों) को हवा देता है।

कम शैक्षिक उपलिख्याँ, शिक्षार्थियों और व्यक्तियों, दोनों के रूप में छात्रों के आत्मविश्वास को हानि पहुंचाती हैं। इतना ही नहीं, वे उच्च शिक्षा के अवसरों को और श्रमबाजार में आने के दौरान उनके लिए अच्छी आय वाली नौकरियों के अवसरों को भी प्रभावित करती हैं। विभिन्न प्रकार के रोज़गारों और आय के स्तरों की सुलभता के लिए इसके भारी निहितार्थ होते हैं। वंचित समूहों के छात्रों के कम ग्रेडों के कारण अच्छी आय वाली नौकरियों के अवसर सीमित हो जाते हैं। इस तरह उनके लिए



रोजगार के अवसर सीमित होते जाते हैं। फलस्वरूप, पीढियों के बीच असमताएँ तथा वंचित और सुविधासंपन्न छात्रों के शैक्षणिक अंतरों पर आधारित सामाजिक असमानताएँ स्थायी बनने लगती हैं।

नामांकित छात्रों की शैक्षणिक सफलता के निम्न स्तर और पाठ्यक्रम की अपूर्णता के वित्तीय निहितार्थ भी होते हैं। न केवल छात्रों और उनके परिवारों के लिए बल्कि उच्च शिक्षा संस्थाओं के लिए भी। उच्च शिक्षा संस्थाओं की उपलब्धियों और प्रतिष्टा के लिए संघर्षपूर्ण प्रयास की ऊँची दरों के नकारात्मक परिणाम होते हैं, जो फिर उन संस्थाओं की वित्त-व्यवस्था की तंगी और वित्तीय संसाधनों की हानि में प्रतिबिंबित होते हैं।

छात्रों के लिए जीवन भर के अवसर मारे जाने के अलावा समाज तथा ज्ञानमुखी अर्थव्यवस्था के लिए शैक्षणिक असफलता के हानिकारक निहितार्थ विश्व-अर्थव्यवस्था की चुनौतियों का सामना करने के लिए ज़रूरी संभावित कुशलताओं और ज्ञान की हानि के रूप में नज़र आते हैं। पीढ़ियों के बीच सामाजिक गतिशीलता के अवसर बढ़ाने, ज्ञानमुखी अर्थव्यवस्था की संवृद्धि के लिए आवश्यक श्रमबल की कुशलताओं को बढ़ाने और समाज में समग्र सामाजिक समानता सुनिश्चित करने के साधन के रूप में उच्च शिक्षा संबंधी परिप्रेक्ष्यों के सन्दर्भ में, सभी रूपों में शैक्षणिक समेकन के माध्यम से छात्रों के प्रतिधारण और सफल शिक्षापूर्ति में सुधार लाने पर उच्च शिक्षा संस्थाओं के प्रबंधकों को ध्यान देना आवश्यक है।

हस्तक्षेप के क्षेत्र

छात्रों के शैक्षणिक समेकन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उनको शैक्षणिक समर्थन देने के लिए एक बहुमुखी दृष्टिकोण की आवश्यकता है क्योंकि वैयक्तिक, साथी समूह सम्बन्धी और संस्थागत कारक मिलकर छात्रों के अधिगम और शैक्षणिक क्षमता के विकास का निर्धारण करते हैं। उच्च शिक्षा के नेतृत्वकर्मी, प्रशासक और संकाय-सदस्य अपने-अपने परिसरों में तरह-तरह के शिक्षार्थियों का शैक्षणिक समेकन निम्न प्रकार से संभव बना सकते हैं :

शैक्षणिक असफलता से कमजोर छात्रों को सुरक्षित रखने के लिए विशेष रूप से पहले साल में सुकेंद्रित शैक्षणिक कार्यक्रमों की व्यवस्थाः

कक्षा में चर्चा की अग्रिम तैयारी कराने के लिए छात्रों को विषयों की डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराना:

छात्रों की भाषाई दक्षताओं में सुधार लाने के लिए भाषाओं की प्रयोगशालाएँ स्थापित करना:

'शिक्षण की प्रयोगशालाएँ' और ट्यूटोरियल सेवाएँ शुरू करना क्योंकि ये छात्रों की शैक्षणिक कमजोरियों का सीधे-सीधे निबटारा करती हैं-

वंचित छात्रों के लिए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में मौजूदा उपचारमूलक कार्यक्रमों का कारगर क्रियान्वयन;

उपचारमूलक कार्यक्रमों में मौजूदा अध्यापन-अध्ययन प्रक्रिया को मजबूत बनाना;

छात्र समूह में उपचारमूलक कार्यक्रमों सम्बन्धी जानकारियों का व्यापक प्रसार करना

यह सुनिश्चित करना कि उपचारमूलक और अन्य समर्थन कार्यक्रमों के साथ कोई नकारात्मक संपृक्तार्थ न जुड़ा हो;

अध्यापकों को शैक्षणिक दृष्टि से विविध छात्रों के साथ काम करने का प्रशिक्षण देनाः

जुरूरतमंद छात्रों को नियमित शैक्षणिक समर्थन करने के लिए संकाय, साथियों और भूतपूर्व छात्रों द्वारा परामर्श की व्यवस्था करना:

सामूहिक कार्यों और अध्ययन समूहों के रूप में सामूहिक और साथी समूह में अधिगम के अवसरों को बढ़ावा देना;

छात्रों की भाषाई दक्षता का मूल्यांकन करना और संस्थाओं में प्रयुक्त शिक्षा-माध्यम में भाषाई क्षमता को समर्थन प्रदान करनाः

छात्रों की क्षमता के सामान्य स्तरों में सुधार के लिए विशेष कक्षाओं का आयोजन करना। इसमें बोध, प्रस्तुति और लेखन जैसी शैक्षणिक कुशलताएँ शामिल हो सकती हैं।





एक अच्छे कार्य व्यवहार का उदाहरण : छात्रों के लिए शैक्षणिक समृद्धि के कार्यक्रम

कम तैयारी वाले छात्रों की शैक्षणिक सफलता सुनिश्चित करने के लिए उपचार कार्यक्रम प्रमुख संस्थागत विधियों में एक है। लेकिन अधिकांश परिसरों में किसी उपचारमूलक कार्यक्रम में भागीदारी से एक नकारात्मक संपृक्तार्थ भी जुड़ा हुआ होता है।

केस अध्ययन में शामिल एक संस्था ने निम्नलिखित उपायों के द्वारा इस नकारात्मक संपृक्तार्थ को मिटाने का सचेत प्रयास किया:

कार्यक्रम का नाम 'उपचारमूलक कोचिंग' से बदलकर 'शैक्षणिक समृद्धि कार्यक्रम' कर दिया गया।

उसका दायरा बढ़ाकर सामाजिक पृष्ठभूमियों से परे सभी वर्ग के छात्रों को उनमें शामिल कर लिया गया।

विशेष विषयवार कोचिंग प्रदान करने के साथ—साथ अंग्रेज़ी भाषा के अध्यापन की कक्षाओं पर ध्यान दिया गया। साथ ही व्याकरण की शिक्षा प्रदान की गई और छात्रों की सम्प्रेषण कुशलताओं में सुधार लाने के लिए सामूहिक चर्चाओं का सहारा लिया गया।

निष्कर्ष

यह दृष्टिकोण कि विविधता एक बोझ होती है, समता और राष्ट्रीय विकास के व्यापकतर लक्ष्यों को निस्तेज और खंडित कर देता है। इसलिए उच्च शिक्षा संस्थाओं को अपने-अपने विविध छात्रसमृहों की उन शैक्षणिक मांगों को, जो एक जनव्यापी व्यवस्था में पैदा होती हैं. मान्यता देनी होगी और उनके हिसाब से ढलना होगा। इनमें पहली पीढी के शिक्षार्थी, निम्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमियों और ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र शामिल हैं, और वे छात्र भी जो सरकारी विद्यालयों में और स्थानीय-क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से पढकर आये हैं। इनमें से अनेक छात्र उच्च शिक्षा के लिए शैक्षणिक रूप में कभी-कभी पूरी तरह तैयार नहीं होते। इसलिए जो छात्र कम शैक्षणिक उपलब्धियों के जोखिम से ग्रस्त होते हैं उनकी शैक्षणिक सफलता सुनिश्चित करने के लिए चिन्तनशील और सुव्यवस्थित शैक्षणिक समर्थन बहुत महत्वपूर्ण होता है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विविध प्रकार के छात्रों के लिए शिक्षण को बढावा देने और शैक्षणिक क्षमताओं का विकास करने में उच्च शिक्षा संस्थाएँ प्रत्यक्ष भूमिका निभा सकती हैं।

यह नीति—सार उच्च शिक्षा नीति अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के निधि एस. सभरवाल और सी.एम. मलीश द्वारा तैयार किया गया।

नीति—सार 1, 2 और 3 मुख्यतः उपरोक्त केंद्र के अनुसन्धान—अध्ययन पर आधारित हैं। ये अध्ययन एक प्रश्नावली के आधार पर 3,200 छात्रों के एक सर्वेक्षण, 200 संकाय सदस्यों से साक्षात्कारों, छात्रों के साथ 70 विषय—केन्द्रित सामूहिक विचार—विमर्श, और उच्च शिक्षा संस्थानों के छात्रों की 50 डायरियों पर आधारित हैं। ये संस्थान 6 राज्यों — बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में स्थित हैं।



भारत में उच्च शिक्षा के लिए सामाजिक समावेशन से संपन्न परिसरों का विकास

भूमिका

उच्च शिक्षा क्षेत्र के जनव्यापी बनने के कारण परिसरों में छात्रों की विविधता पर्याप्त रूप से बढ़ी है। परिसरों में बढ़ती विविधता में सकारात्मक नीतियों के क्रियान्वयन का भी योगदान रहा है। अनुभवजन्य प्रमाणों (एन एस एस ओ, 2014) से पता चलता है कि उच्च शिक्षा के परिसरों में सामाजिक रूप से बहिष्कृत समूहों, जैसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों का अधिकतम संख्यात्मक प्रतिनिधित्व (63%) है।

जहाँ परिसरों में विविधता बढ़ी है वहीं संस्थाओं में बहिष्करण जारी है, वे परंपरा से बंधी हुई हैं और अभिजात दृष्टिकोण अपनाती हैं। इससे जनमुखी चित्र और छात्र विविधता के बीच एक नए प्रकार का तनाव विकसित होता है, जिससे परिसर के वातावरण और पठन—पाठन प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। परिसरों के वातावरण का गैर—समावेशी चिर्त्र उच्च शिक्षा संस्थाओं में होनेवाले भेदभाव में व्यक्त होता है। यह नीति—सार परिसरों में होनेवाले भेदभाव के रूपों को उजागर करता है, और उन युक्तियों को भी जिनको भारत भर के परिसरों में समावेशन को बढाने के लिए अपनाना आवश्यक है।

परिसरों में छात्रों की विविधता और भेदभाव

भारत में उच्च शिक्षा व्यवस्था छात्रों के अपेक्षाकृत अधिक विविध समूहों को शिक्षा प्रदान कर रही है। लेकिन वंचित समूहों के छात्र परिसरों में सहज महसूस नहीं करते : मुमिकन है कि ये छात्र ग्रामीण क्षेत्रों से आनेवाले और पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी हों और 'निचली' जातियों के गरीब परिवारों से सम्बन्धित हों. जिन्होंने

उन विद्यालयों में शिक्षा पाई हो जहाँ क्षेत्रीय भाषाएँ शिक्षा की माध्यम थीं।

जातिगत और उपजातिगत पूर्वाग्रहों की मौजूदगी और भेदभावपूर्ण शैक्षणिक पृष्टभूमियों के कारण, कक्षाओं में और कक्षाओं से बाहर भी, सामाजिक बहिष्करण के शिकार समूहों के छात्र भी भेदभाव और सामाजिक अलगाव से दो—चार होते हैं।

भेदभाव की अभिव्यक्तियाँ

सामाजिक बहिष्करण के शिकार समूहों के छात्र जिस भेदभाव से दो—चार होते हैं वह कम अध्यापक—छात्र अंतःक्रिया, मित्रता में सामाजिक विभाजन, और प्रशासकों के बहिष्कारी व्यवहार में व्यक्त होता है। भेदभाव के प्रत्यक्ष रूपों की अपेक्षा अप्रत्यक्ष रूपों की प्रधानता होती है।

अध्यापक—छात्र अंतःक्रिया : शिक्षण की प्रक्रियाओं को और छात्रों के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक—छात्र अंतःक्रियाएं महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। दुर्भाग्य से छात्रों की जातिगत, वर्गीय और उपजातिगत पृष्ठभूमियों से उत्पन्न होनेवाले पूर्वाग्रह और रूढ़ विचार शैक्षणिक और गैर—शैक्षणिक, दोनों क्षेत्रों में अक्सर अध्यापक—छात्र अंतःक्रिया को प्रभावित करते हैं। इस सिलसिले में संकाय के सदस्यों का भेदभाव भरा व्यवहार कक्षाओं में प्रशन—उत्तर के सत्रों में सामाजिक बहिष्करण के शिकार छात्रों पर पर्याप्त ध्यान और समय दिए जाने की कम सम्भावना में, या शैक्षणिक प्रश्नों पर अध्यापकों के साथ एक—से—एक चर्चा के कम अवसरों में व्यक्त होता है। अपने अधिक सुविधासंपन्न साथियों के विपरीत अभावग्रस्त समूहों के छात्रों को परिसरों में शैक्षणिक और गैर—शैक्षणिक आयोजन करने के सिलसिले में भी प्रोत्साहित नहीं किया जाता।





अनेक अध्यापक आज भी कक्षाओं में पहले के 'अनटचेबल' (अछूत) को 'अनटीचेबल्स' (शिक्षण के अयोग्य) मानते हैं। इसके अलावा, उनका यह विश्वास भी है कि योग्यता की बजाय आरक्षण पर आधारित नामांकन के कारण वंचित समूहों के छात्रों का बढ़ता हुआ भाग शिक्षा की गुणवत्ता और मानदंड में गिरावट का कारण है। ऐसे विश्वास और रुख अध्यापकों और छात्रों के बीच सकारात्मक संबंधों के विकास में बाधा डालते हैं, जिससे मनोयोगी और सिक्रय शिक्षण की प्रक्रिया बाधित होती है। अध्यापकों की ओर से देखभालपूर्ण रवैये का अभाव, अपेक्षाओं का निम्न स्तर और वंचित छात्रों के शैक्षिक परिणामों के बारे में जिम्मेदारी का अभाव — वंचित छात्रों की प्रगति पर भारी नकारात्मक प्रभाव डालते हैं।

अध्यापक छात्रों के साथ अपनी गैर-शैक्षणिक अंतःक्रिया के महत्व को समझने में भी नाकाम रहते हैं। इसकी बजाय वे छात्रों को परामर्शकों की सहायता लेने की सलाह देते हैं जो ऐसे मुद्दों को निपटाने का 'प्रशिक्षण' पाए हुए हैं। इस तरह ज्यादातर संस्थाओं में सलाहकारों और मार्गदर्शकों की भूमिका को महत्व नहीं दिया जाता।

छात्र—छात्र अंतःक्रिया : वंचित समूहों के छात्रों का उनके अधिक संपन्न साथी मखौल उड़ाते हैं, उनको लांछित करते हैं और उनको 'आरक्षित श्रेणी' के सदस्य करार देते हैं। ये साथी योग्यता की विचारधारा में विश्वास रखते हैं और आरक्षण के विचार का विरोध करते हैं, और अक्सर यह समझा जाता है कि यह विचार विश्वविद्यालयों को अ.जा. / अ.ज.जा. / अ.पि.व. के कम योग्य छात्रों को प्रवेश देने के लिए मजबूर करता है। ऐसी बहसें कक्षा के अन्दर भी जारी रखी जाती हैं जिनमें छात्र अपनी—अपनी जाति के आधार पर अपना पक्ष रखते हैं। अध्यापक भी आम तौर पर सामाजिक न्याय, समता और विविधता की धारणाओं को उजागर किये बिना ऐसी ध्रुवीकृत बहसों की इजाज़त देते हैं। परिसरों में वंचित छात्रों के तौर—तरीकों, उच्चारण और पहनावे के ढरों को हीन बतलाया और उनका मखौल उड़ाया जाता है।

इस तरह पाठ्येतर गतिविधियों और भोजनालय के हॉलों जैसे साझे स्थानों की सुगमता के सन्दर्भ में वंचित समूहों का अलगाव बहुत ही स्पष्ट है। जातियों और उपजातियों के आधार पर अलग—अलग छात्रावास भी होते हैं। देखा गया है कि पाठ्येतर गतिविधियों में वंचित छात्र जब भी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं तो ऐसी गतिविधियों को, मसलन राष्ट्रीय सेवा योजना संबंधी गतिविधियों, और उनमें छात्रों की भागीदारी के साथ नकारात्मक संपृक्तार्थ जोड़ दिए जाते हैं।

छात्र—प्रशासन अंतः क्रिया : सामाजिक समावेश को बढ़ावा देने और छात्रों को भेदभाव से बचाने के लिए 'विशेष प्रकोष्ठ (सेल)' जैसी अनेक संस्थागत व्यवस्थाएँ की गयी हैं। फिर भी यह पाया गया है कि ऐसे प्रकोष्ठों के अस्तित्व के बावजूद प्रशासनिक व्यवस्थाएँ ठीक काम नहीं कर रही हैं। अधिकांश प्रकोष्ठ अलग—थलग और प्रशासन से पर्याप्त सहायता पाए बिना काम कर रहे हैं। संस्थाओं के प्रशासक अक्सर वंचित छात्रों की आवश्यकताओं के प्रति असंवेदनशील व्यवहार का परिचय देते हैं। इसके साथ ही, प्रशासन से संपर्क के समय इन छात्रों को अपमानित किया और नीचा दिखाया जाता है। यह असंवेदनशीलता भत्तों / छात्रवृत्तियों की स्थिति के बारे में उन छात्रों द्वारा पूछताछ के जवाब में की गयी अपमानजनक टिप्पणियों के रूप में व्यक्त होती है। ये छात्रवृत्तियां भी अक्सर समय पर जारी नहीं की जातीं।

परिसर में अंतःक्रियाओं के दौरान लैंगिक पूर्वाग्रह : छात्राओं को कक्षा के अन्दर और बाहर, दोनों जगह लैंगिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उनको लैंगिकता के आधार पर ही अक्सर निशाना बनाया या उपेक्षित कर दिया जाता है। इसके अलावा. लैंगिक पूर्वाग्रह दूसरे रूपों में भी व्यक्त होते हैं, जैसे- पाठ्यचर्या की और पाठ्येतर गतिविधियों में नेतृत्व के अवसरों के अभाव में, लैंगिक आधार पर कार्यों के वितरण में, परिसर के सार्वजनिक कार्यक्रमों में लडिकयों की भागीदारी को प्रोत्साहित न किए जाने में, कक्षा में चर्चा के दौरान पुरुष छात्रों को 'बोलने' और अपनी साथी छात्राओं को 'चूप' करने की परोक्ष इजाज़त दिए जाने में, और महिलाओं की उपलब्धियों को उनकी क्षमताओं और योग्यताओं की बजाय अन्य कारणों से जोड़े जाने में। लैंगिक रूढियों, जैसे महिलाओं और पुरुषों के लिए विवाह और अभिभाविकी की अलग-अलग समझ, की निरंतरता भी छात्राओं के उत्साह, और आकांक्षा व प्रेरणाओं के स्तरों पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। ऐसे प्रतिगामी अनुभव महिलाओं को आत्म-प्रतिबन्ध की तरफ़ ले जाते हैं। वे चर्चाओं में भागीदारी से खुद को रोकती हैं, सार्वजनिक क्रियाक्षेत्र से पीछे



हट जाती हैं, और परिसरों में उनको अगर हाशिये पर डाल दिया जाता है तो उस स्थिति को चूपचाप सहती रहती हैं।

महिलाएं सुरक्षा से जुड़े मुद्दों, यौन हिंसा, कहीं आने—जाने की स्वतंत्रता या अपनी पसंद के कपड़े पहनने की आज़ादी पर प्रतिबन्ध / रोकटोक, आदि का सामना भी करती हैं। कुछ कॉलेजों में तो पुरुष छात्र इस हद तक चले जाते हैं कि महिलाओं पर 'ड्रेस कोड' लादने लगते हैं। परिसरों में सुरक्षा के अभाव के कारण महिलाएँ अक्सर दोपहर के बाद परिसरों में नहीं रुकतीं, जिससे परिसर की गतिविधियों में उनकी भागीदारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। महिलाओं के लिए छात्रावासों में पुरुषसत्तात्मक नैतिक पहरेदारी तथा परिसर के अन्दर और बाहर अपनी गतिविधियों और आवाजाही पर प्रतिबंध, एक और चुनौती है। महिलाओं के छात्रावासों में प्रवेश के कठोर समय तय होते हैं जबिक इसके विपरीत पुरुषों के छात्रावासों में ऐसी कोई पाबन्दी नहीं होती। छात्रावासों से बाहर जाने संबंधी पाबन्दी से भी शाम के समय छात्राओं के लिए पुस्तकालय की सुलभता पर प्रतिकूल प्रभाव पडते हैं, खासकर परीक्षा के दिनों में।

खासकर अनुसूचित जातियों और जनजातियों की महिलाएं जाति और लिंग दोनों पर आधारित भेदभाव और अपमानजनक टिप्पणियों की चुनौती का सामना करती हैं। खासतौर पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों की महिलाओं के लिए अपमानजनक टिप्पणियों का प्रयोग उनको सरे—आम शर्मिंदा और तंग करने के लिए किया जाता है। "कोटे से हो या कोठे से हो" जैसी अपमानजनक टिप्पणियां भी की जाती हैं।

छात्राएं अक्सर ऐसे परेशान करने के व्यवहार के खिलाफ़ शिकायत करने से डरती हैं। महिला—प्रकोष्ठ के व्यक्तियों की सक्रिय भूमिका की जहाँ उपेक्षा की जाती है, वहीं साथी उनका मज़ाक उड़ाते हैं और अपमानजनक ढंग से उन्हें "महिला एक्टिविस्ट" कह कर चिन्हित किया जाता है। महिलाओं के खिलाफ़ लैंगिक रूढ़ विचार और अलोकतांत्रिक व्यवहार, जो समाज में मौजूद मानकों को प्रतिबिंबित करते हैं, संस्थागत स्तर पर भी स्वीकृत होते हैं जिससे वे 'सामान्य' मालूम होने लगते हैं।

देखा गया है कि छात्रों को भेदभाव से बचाने के लिए बनाई गयी संस्थागत व्यवस्थाएँ बेअसर रहती हैं। वास्तव में वंचित समूहों के छात्रों के लिए लक्षित योजनाओं और कार्यक्रमों के कारगर क्रियान्वयन के प्रति उदासीनता संस्थागत भेदभाव का ही प्रतिबिम्ब होती है। फिर भी भेदभाव के दूसरे रूपों के विपरीत संस्थागत भेदभाव की पहचान करना मुश्किल होता है क्योंकि उनकी जड़ें संस्थाओं के काम करने के ढंग में ही अंतर्निहित होती हैं।

भेदभाव के प्रभाव

भेदभाव और बहिष्कार के व्यवहार वंचित समूहों के छात्रों में अजनबीपन, सामाजिक अलगाव, पृथक—समूहीकरण (ghettoisation) और सीखने के अवसरों को सीमित करने के संचालक होते हैं। छात्रों की विविधता के प्रति यह नकारात्मक सोच अध्यापक—छात्र अंतःक्रिया को कम करती है जिससे फिर पठन—पाठन प्रक्रिया प्रभावित होती है। यह वंचित छात्रों को निम्न स्तरीय शैक्षिक उपलब्धियों के जाल में फंसाती है, तथा अध्यापकों और सामाजिक बहिष्करण के शिकार समूहों के छात्रों के बीच सामाजिक दूरी बढ़ाती है। शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से छात्रों के लिए समावेशन की कठिनाई, बैकपेपर्स का बाकी रह जाना, शिक्षा का त्याग, और दूसरे अवांछित सामाजिक प्रभाव— पठन—पाठन प्रक्रिया में भेदभाव के कुछेक परिणाम हैं।

महिलाओं के साथ असमान व्यवहार के संचयी प्रभावों में अपनी योग्यताओं के प्रति उनमें आत्मविश्वास का अभाव, उनके आत्म सम्मान में कमी, और जीवनवृत्ति की कुंद आकांक्षाएँ शामिल हैं। परिसर में छात्राओं के प्रतिकूल अनुभव आकांक्षाओं और उपलब्धियों के सन्दर्भ में छात्रों और छात्राओं में अन्तर्भेद सम्बन्धी रूढ़ विचारों को कमज़ोर नहीं करते बल्कि और पुष्ट करते हैं।

भेदभावपूर्ण छात्र—छात्र अंतःक्रिया भी परिसर में पहचान के आधार पर संगी समूहों के निर्माण का कारण बनती हैं। ऊँची जातियों के छात्रों के सिलसिले में पहचान के आधार पर संगी समूहों का निर्माण, कुछ समूह सम्बन्धी वरीयताओं के आधार पर होता है। दूसरी तरफ अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बीच पहचान के आधार पर संगी समूहों का निर्माण अजनबीपन और दूसरों की तरफ से भेदभाव के डर का परिणाम होता है। इस तरह के संगी समूह का निर्माण संस्था के गैर—समावेशी वातावरण के खिलाफ़ समर्थन की व्यवस्था का काम भी करता है।





विभिन्न छात्र सहायता कार्यक्रमों और प्रकोष्ठों के बारे में प्रशासन द्वारा सूचनाओं के प्रसार का अभाव भेदभाव का एक और व्यवहार है। यह भेदभाव या सताए जाने के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए विशेष प्रकोष्ठों और मुख्य पदाधिकारियों के बारे में छात्रों में जानकारी के अभाव के रूप में प्रतिबिंबित होता है। गैर—अनुसूचित जातियों, जनजातियों के और गैर—पिछड़े समूहों के साथियों के मुकाबले वंचित समूहों के छात्रों की उन्मुखीकरण कार्यक्रमों या स्वागत समारोहों या फिर पाठ्येतर गतिविधियों में भाग लेने की संभावना कम होती है। अंतिम परिणाम यह होता है कि सामाजिक बहिष्करण के शिकार छात्र यह भावना पाल लेते हैं कि संस्था में उनकी कोई पूछ नहीं है। उनके लिए तालमेल बिठा पाना मुश्किल होता है और वे संगी समूह नहीं बना पाते।

वंचित छात्रों को अपनी क्षमताओं के पूर्ण स्तर प्राप्त करने से रोकनेवाले भेदभाव के अनेक निहितार्थ होते हैं; अधिगम/सीखने के समान अवसरों का व्यवस्थित नकार, अपनी योग्यताओं को बढ़ाने के अवसरों का अभाव, और परिसर के जीवन में, शैक्षिण क और सामाजिक दोनों सन्दर्भों में वंचित समूहों की लोकतांत्रिक भागीदारी पर प्रतिबन्ध — इन निहितार्थों में शामिल हैं। ये सब बातें वंचित छात्रों के सिलिसले में शिक्षात्याग की या परीक्षा में असफलता की संभावनाओं का कारण बनती हैं। शिक्षा समुदाय के कुछ समूहों के खिलाफ भेदभाव के इस परिदृश्य में शिक्षा के जरिये सामाजिक परिवर्तन के वृहत्तर लक्ष्यों को पाना असंभव हो जाता है। इस तरह सामाजिक रूप से गैर—समावेशी परिसर, पीढ़ियों के बीच समता और पीढ़ियों के भीतर समता, दोनों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं।

हस्तक्षेप के क्षेत्र

सामाजिक समावेश के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि संस्थाएँ समता की भावना विकसित करें। संस्थाओं के नेतृत्वकर्मी सचेत ढंग से परिवर्तन के निमित्त बनकर अपने परिसरों में व्याप्त संस्कृति पर सार्थक प्रभाव डाल सकते हैं;

एक वैधानिक विविधता समिति (diversity committee) का गठन कर सकते हैं। इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु वे जिसे विविध छात्र—समुदाय का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रकोष्ठों (सेलों) और समितियों जैसी विभिन्न संस्थागत व्यवस्थाओं का समन्वय और निगरानी करने का अधिकार हो;

विशेष प्रकोष्टों (सेलों) को लक्षित समूहों के सरोकारों और आवश्यकताओं के अनुसार अधिक सक्रिय और प्रभावी बना सकते हैं:

महिला प्रकोष्टों (सेलों) को नव चेतना देकर, जिसके अन्तर्गत उनके पास लैंगिक संवेदनशीलता के कार्यकलापों का एक वार्षिक कैलेंडर हो, उनसे जीवनवृत्ति के अवसरों से संबंधित सूचनाएँ और व्यावसायिक परामर्श मिले और वे लैंगिक मुद्दों पर स्टडी सर्कल्स का आयोजन करें:

शैक्षणिक वर्ष के आरंभिक दिनों में पहले साल के छात्रों के लिए उन्मुखीकरण के सुनियोजित कार्यक्रमों का आयोजन, क्योंकि यही समय होता है जब छात्र ज्यादातर कठिनाइयों का सामना करते हैं, विशेषकर शैक्षणिक रूप से आगे बढ़ने में और उच्च शिक्षा की संस्कृति से तालमेल बिठाने में;

पाठ्येतर कार्यकलापों में विविध पृष्ठभूमियों के छात्रों की समान भागीदारी सुनिश्चित करना ताकि परिसर का सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन समावेशी बने;

वंचित समूहों के छात्रों के लिए पारदर्शिता, सूचनाओं के प्रवाह में दक्षता तथा अधिकारों और अवसरों सम्बन्धी सूचनाओं का व्यापकतर प्रसार सुनिश्चित करना;

ऐसे शैक्षणिक और सामाजिक कार्यक्रमों का समन्वय जो, सामाजिक शिक्षण और एक अधिक सकारात्मक परिसर के अनुभव के पक्ष में, छात्रों के शैक्षणिक और सामाजिक अनुभवों को एक जगह ला सकें;

वंचित समूहों पर केन्द्रित छात्र सहायता कार्यक्रमों की निगरानी और उनका मूल्यांकन;

विभिन्न सामाजिक समूहों के लिए मिश्रित छात्रावासों और विभिन्न पहचानों वाले संगी समूहों को बढ़ावा देना क्योंकि इससे परिसरों में सामाजिक समावेश बढता है;

समय—समय पर परिसरों के परिवेश का सर्वेक्षण जो विभिन्न छात्र—समुदायों के भोगे हुए अनुभवों को समझ सकें;

मिश्रित लाभार्थी समूहों, जैसे छात्र एवं शिक्षक समितियों का गठन सुनिश्चित करना जो परिसरों में पहचान—आधारित दरारों को कम करने के लिए विविध पृष्ठभूमियों के बीच भागीदारी को बढावा दें;





एक अच्छे कार्य व्यवहार का उदाहरण: शैक्षणिक और सामाजिक कार्यक्रमों का समन्वय

राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) छात्रों के लिए भिन्न—भिन्न संगी समूहों से अंतःक्रिया करने और उनसे कुछ सीखने के माध्यमों में से एक है। लेकिन अधिकांश परिसरों में इस योजना में भागीदारी के साथ एक नकारात्मक संपृक्तार्थ जुड़ गया है क्योंकि इस योजना के भागीदारों में वंचित छात्र अधिक हैं।

एक केस अध्ययन में संस्थाओं ने राष्ट्रीय सेवा योजना को विविध छात्र समूहों के लिए अधिक आकर्षक बनाने के सचेत प्रयास किए। इस योजना में भागीदारी को छात्र अकादिमक काउन्सिल में प्रतिनिधित्व से जोड़े जाने से उसके साथ जुड़ा नकारात्मक संपृक्तार्थ दूर करने में मदद मिली। इस कदम के कारण, सामाजिक समूहों और विषयों के आरपार, राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) का दायरा अधिक व्यापक बना। फलस्वरूप अब रा. से. योजना की गतिविधियों में सामाजिक अलगाव और गेटो (पृथक—समूहीकरण) वाली स्थिति मौजूद नहीं है। विविधता के विभिन्न पहलुओं पर शैक्षिक प्रशासकों और संकाय—सदस्यों के संवेदीकरण के लिए प्रशिक्षण का आयोजन करना;

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा संस्थाओं में समता का संवर्धन) अधिनियम 2012 के मार्गदर्शक सिद्धांतों का सुसंगत क्रियान्वयन सुनिश्चित करना;

नागरिक शिक्षा (civic learning) के विकास के ऐसे कार्यक्रमों का आरम्भ जो छात्रों को भेदभाव की सोचों और व्यवहारों की पहचान करने तथा उनके उन्मूलन के लिए समर्थ बनाएँ। एक ऐसी विविधता कार्यवाई—योजना (diversity action plan) का विकास जो हस्तक्षेप की आवश्यकता के क्षेत्रों की पहचान के साथ उपयुक्त युक्तियों की भी पहचान करे।

निष्कर्ष

उच्च शिक्षा के जनव्यापी बनने और जनांकिकी में बदलाव के साथ, उच्च शिक्षा की संस्थाओं के लिए नई चुनौतियाँ उभर रही हैं जिनमें सामाजिक असमानताओं का पुनरुत्पादन भी शामिल है। भेदभाव का जारी रहना उच्च शिक्षा के परिसरों की गैर—समावेशी प्रकृति को प्रतिबिंबित करता है। इसलिए आवश्यकता है कि संस्थाओं के नेतृत्वकर्मी अपने परिसरों में भेदभाव के विभिन्न रूपों से परिचित हों और भारत भर की उच्च शिक्षा संस्थाओं में समावेशी परिसर संस्कृति के सृजन हेतु युक्तियों का विकास करें।

यह नीति–सार उच्च शिक्षा नीति अनुसन्धान केंद्र, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के निधि एस. सभरवाल और सी.एम. मलीश द्वारा तैयार किया गया।

नीति—सार 1, 2 और 3 मुख्यतः उपरोक्त केंद्र के अनुसन्धान—अध्ययन पर आधारित हैं। ये अध्ययन प्रश्नावली के आधार पर 3,200 छात्रों के सर्वेक्षण, 200 संकाय सदस्यों से साक्षात्कारों, छात्रों सिहत 70 विषय—केन्द्रित सामूहिक विचार—विमर्श, और उच्च शिक्षा संस्थानों के छात्रों की 50 डायरियों पर आधारित हैं। ये संस्थान 6 राज्यों— बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में स्थित हैं।

corhe नीति सार

नीति सार – 1

भारत में उच्च शिक्षा की सुलभता में समानता (निधि एस. सभरवाल और सी.एम. मलीश, 2017)

नीति सार – 2

भारत में उच्च शिक्षा में शैक्षणिक समेकन (निधि एस. सभरवाल और सी.एम. मलीश, 2017)

नीति सार – 3

भारत में उच्च शिक्षा के लिए सामाजिक समावेशन से संपन्न परिसरों का विकास (निधि एस. सभरवाल और सी.एम. मलीश, 2017)

